सत्यमेव जयते

सं. 4/46/2017-दीपम-II-ए
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

<u>एचएलएल लाइफकेयर लि. के सामरिक विनिवेश के लिए सौदा सलाहकार की नियुक्ति - प्रस्ताव हेतु अनुरोध</u>

1. प्रस्तावना

1.1 एचएलएल लाइफ केयर लि. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की एक सूचीबद्ध कंपनी है। वित्त वर्ष 2016-17 में कंपनी का कुल कारोबार 1064.71 करोड़ रुपये था। 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य 487.93 करोड़ रुपये है।

1.2 एचएलएल ने अपना सफर वर्ष 1966 में मात्र एक गर्भनिरोधक इकाई के साथ आरंभ किया था। आज यह एक संपूर्ण हेल्थ केयर प्रदायी कंपनी है और बहु-उत्पाद, बहु-अवस्थिति वाला संगठन है जो अधिकांश जनता के सामने आ रही विभिन्न जन-स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान कर रहा है। नवीकरणीय उत्पादों और सामाजिक कार्यक्रमों की व्यापक व्यवस्था के साथ एचएलएल लाइफ केयर लि. 'स्वस्थ पीढ़ियों के लिए नवान्वेषण' के अपने दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है। एचएलएल विश्व में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो गर्भनिरोधकों के सबसे अधिक उत्पादों का निर्माण और विपणन करती है। यह कंडोम की श्रृंखला उपलब्ध कराने में अद्वितीय है जिनमें महिला कंडोम, इंट्रा गर्भाशय के उपकरण, ओरल गर्भनिरोधक गोलियां - स्टेरायडल, गैर-स्टेरायडल और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां और ट्यूबल रिंग्स शामिल हैं। एचएलएल की स्वास्थ्य सेवा उत्पाद श्रेणी में रक्त संग्रह बैग, सर्जिकल सूटर्स, टीके, महिलाओं के स्वास्थ्यसेवा फार्मा उत्पाद, इन-विट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, हाइड्रोसिफलस शंट, टिशू एक्सपैंडर्स, नीडल डेस्ट्रॉयर्स, ब्लड बैंक उपकरण, आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स, सेनेटरी नैपकिन और ओरल रीहायड्रेशन साल्ट्स शामिल हैं। विगत पंद्रह वर्षों से एचएलएल ने लगातार प्रत्यक्ष विपणन के लिए एक मजबूत और ठोस बुनियादी ढांचे की स्थापना की है। एचएलएल ने समूचे भारतीय महाद्वीप में एक विशाल वितरण नेटवर्क स्थापित किया है। एचएलएल की वर्तमान में भारत के दूरस्थ भागों में स्थित 1 लाख से अधिक गांवों सहित की 1 मिलियन खुदरा दुकानों तक पहुंच है। एचएलएल के उत्पादों को आज 70 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। कंपनी ने योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन करने

के उद्देश्य से विशेष रूप से प्रजनन स्वास्थ्य , महिला सशक्तिकरण और एचआईवी रोकथाम और नियंत्रण गतिविधियों के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र की हस्तक्षेप परियोजनाओं को डिजाइन करने और कार्यान्वित करने के उद्देश्य के लिए 1992 में गैर-लाभकारी संस्था हिंदुस्तान लेटेक्स परिवार नियोजन संवर्धन ट्रस्ट (एचएलएफपीपीटी) की स्थापना की। एचएलएफपीपीटी आज भारत में शीर्ष सामाजिक विपणन संगठन में से एक है।

1.3 एचएलएल द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रमुख प्रौद्योगिकी सहयोगियों में जापान के ओकामोतो ; फिनिशिंग एंटरप्राइजेज, यूएसए; फीमेल हेल्थ कंपनी, यूके; और चीन के बीजिंग ज़िहु फार्मा शामिल हैं।

1.4 एचएलएल की गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्रों के साथ सात अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं हैं। इसके संयंत्रों में निर्मित उत्पादों को "सीई" अंकन सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। एचएलएल आज अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि यूएनएफपीए, यूएनओपीएस, यूएनएचसीआर, डब्ल्यूएचओ, पीएसआई और आईडीए द्वारा प्रबंधित विभिन्न वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए गर्भनिरोधकों और स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद उपलब्ध कराने वाला एक अग्रणी प्रदाता है। इसके महिला कंडोम और यूनिपिल विनिर्माण सुविधाएं यूएनएफए-डब्ल्यूएचओ से पूर्व अर्हता प्राप्त हैं और उत्पादों को कई देशों में पूर्व-अर्हता के आधार पर पंजीकृत किया जा रहा है।

1.5 कंपनी का पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय एचएलएल भवन , महिलमंडिरम रोड, पूजपुरा, तिरुवनंतपुरम -6950012, केरल में है। लगभग 5000 कर्मचारियों और भागीदारों के रूप में विश्व की कई अग्रणी कंपनियों के साथ, एचएलएल ने पिछले चार दशकों में एक उच्च वृद्धि को हासिल करने और बनाए रखने के अपने लक्ष्य को कायम रखने के लिए और अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये हैं - ग्राहक , कर्मचारी, व्यवसाय, उद्योग और सामाजिक पहल।

1.6 सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम वर्तमान में, एचएलएल की पांच सहायक कंपनियां और एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जो निम्नानुसार हैं :

1.6.1 एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल): यह लगभग 600 करोड़ रुपये के निवेश के साथ राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए वैक्सिन और न्यू जेनरेशन वैक्सिन के उत्पादन के लिए एचएलएल की 100% सहायक कंपनी है। यह सुविधा तमिलनाडु में चेन्नई के पास चेंगलपट्टू में स्थापित की जा रही है। एचबीएल पहले चरण में 585 मिलियन डोस की वार्षिक क्षमता के साथ पेंटावलेंट कंबीनेशन (डीपीटी प्लस हेप बी प्लस एचआईबी), बीसीजी, मेसल्स, हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन रेबीज, एचआईबी और जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) टीके का निर्माण करेगा।

1.6.2 एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड (एचआईटीईएस): वर्ष 2014 में स्थापित एचआईटीईएस एचएलएल की 100% सहायक कंपनी है, जो कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों की खरीद के लिए विशेषज्ञता प्राप्त है। एचआईटीईएस निर्माण परियोजनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निष्पादन में सेवाएं प्रदान करती है।

1.6.3 गोआ एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल): यह फार्मास्युटिकल विनिर्माण क्षेत्र में एचएलएल की सहायक कंपनी है। जीएपीएल के 74% शेयर एचएलएल के पास हैं और शेष 26% ईडीसी लिमिटेड, गोवा के पास धारित हैं।

1.6.4 एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएमएल): 20 दिसंबर, 2016 को एचएलएल की सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया, मेडिपार्क की परिकल्पना विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी अवसंरचना पार्क के रूप में की गई है जो मेडिकल उपकरण को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना संबंधी सहायता प्रदान करता है। एक बार पूरी तरह से संचालन के बाद मेडिपार्क , मेडिकल डिवाइस सेक्टर में भारत की पहली क्षेत्र विशिष्टीकृत पहल होगी। मेडिपार्क को तमिलनाडु में चेन्नई के पास चेंगलपट्टू में इस परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा दीर्घकालिक पट्टे पर हस्तांतरित 330 एकड़ जमीन पर स्थापित किया जा रहा है।

1.6.5 एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड: एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड को 01 अगस्त, 2017 को एचएलएल की एक 100% सहायक कंपनी के रूप में उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 100-100 बिस्तरों वाले मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल स्कंधों को सुसज्जा, वित्तपोषण, संचालन, रखरखाव और हस्तांरण के संबंध में पीपीपी मॉडल के माध्यम से संचालनात्मक बनाने के लिए एक विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया था।

1.6.6 लाइफ स्प्रिंग हॉस्पिटल्स (पी) लिमिटेड : लाइफ स्प्रिंग एचएलएल और अक्यूमन फंड इंक , के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम है जो हैदराबाद में मातृत्व देखभाल अस्पतालों का संचालन कर रहा है। वर्तमान में, यह संयुक्त उद्यम हैदराबाद में 11 अस्पतालों के के समूह का संचालन कर रहा है।

1.5 कंपनी की वेबसाइट http://www.lifecarehll.com है।

2. <u>प्रस्ताव</u>

भारत सरकार ने एचएलएल लाइफ केयर लि. के वैक्सीन उदयम और मैडीपार्क को अलग विशेष प्रयोजन कंपनियों के रूप में 3 माह की अवधि के अंदर अलग करने और उसके बाद एचएलएल

लाइफकेयर लि. में सरकार की 100% इक्विटी का दो-चरणीय नीलामी प्रकिया के माध्यम से सामरिक विनिवेश करने का "सैद्धांतिक" निर्णय लिया है। भारत सरकार उपर्युक्त दो सहायक कंपनियों के पृथकीकरण की प्रक्रिया में सरकार की सहायता करने सहित परामर्शी सेवाएं प्रदान करने और सामरिक विनिवेश प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए विख्यात पेशेवर परामर्शदायी फर्मों/निवेश बैंकरों, मर्चेंट बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि में से सौदा सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है।

3. <u>सलाहकार का कार्यक्षेत्र</u>

सलाहकार को सामरिक विनिवेश प्रक्रिया के सभी पहलुओं से संबंधित कार्य करना होगा जिसके परिणामस्वरूप सौदा सफलतापूर्वक संपन्न हो सके और इसमें अन्य बातों के साथ -साथ सामरिक विनिवेश के तरीकों और समय के बारे में भारत सरकार को सलाह देना और सहायता करना; सामरिक बिक्री की प्रक्रिया के लिए अपेक्षित मध्यस्थों की आवश्यकता की सिफारिश करना; उपयुक्त विचारार्थ विषयों के संदर्भ में मध्यस्थों की पहचान और चयन में सहायता करना , सभी दस्तावेज जैसे कि आरंभिक सूचना ज्ञापन, गोपनीयता सूचना ज्ञापन, प्रस्ताव हेतु अनुरोध, गोपनीयता करार आदि तैयार करना; सौदे की संरचना तैयार करना; ईष्टतम बिक्री मूल्य की प्राप्ति हेतु उपायों का सुझाव देना; सामरिक बिक्री की स्थिति उजागर करना; बोलियां आमंत्रित करना और मूल्यांकित करना; संभावित खरीदारों को बातचीत के दौरान सहायता करना और पेशेवर तौर पर उनका मार्गदर्शन करना; बिक्री/अन्य करारों की रूपरेखा तैयार करना; और सतत आधार पर बिक्री पश्चात मामलों में सलाह देना शामिल है, परंतु ये य हीं तक सीमित नहीं हैं। विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) **एचएलएल लाइफकेयर लि.** के सामरिक विनिवेश की पद्धतियों और समय के बारे में भारत सरकार को सलाह देना तथा प्रत्येक गतिविधि के लिए अस्थायी समय -सीमा का संकेत देते हुए सामरिक विनिवेश प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन की एक विस्तृत संचालनात्मक स्कीम तैयार करना और प्रस्तुत करना।

(ii) सौदे के लिए निम्नलिखित प्रासंगिक दस्तावेज तैयार करना जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु यहीं तक सीमित नहीं हैं :

(क) प्रारंभिक सूचना ज्ञापन जिसका आशय **एचएलएल लाइफकेयर लि.** और उसके व्यवसाय के बारे में संभावित खरीदारों को जानकारी उपलब्ध कराना हो , ताकि वे अपनी रूचि की अभिव्यक्तियां भेज सकें।

(ख) गोपनीयता सूचना ज्ञापन जिसमें **एचएलएल लाइफकेयर लि.** और उसके व्यवसाय के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है।

(iii) सौदे के लिए अपेक्षित और भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विशेषज्ञ पेशेवर मध्यस्थों की पहचान करना और उनका चयन करने में भारत सरकार को सलाह देना और सहायता करना और सलाहकार द्वारा उनके कार्य में समन्वय स्थापित किया जाना।

(iv) गैर प्रकटीकरण करार और अनुवर्ती संसूचना के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने और बोलीदाताओं को परिसंपत्तियों तथा सौदे के बारे में सूचना उपलब्ध कराना।

(v) सामरिक विनिवेश (बोली/नीलामी आदि के माध्यम से) की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना।

(vi) ई- डाटा कक्ष की स्थापना करने में और उचित उधमिताकारी प्रक्रिया के सुचारू कार्यान्वयन में **एचएलएल लाइफकेयर लि.** की सहायता करना।

(vii) **एचएलएल लाइफकेयर लि.** में भारत सरकार की इक्विटी के विनिवेश की स्थिति को उजागर करना ताकि संभावित क्रेताओं/खरीदारों/निवेशकों में रूचि पैदा की जा सके।

(viii) संभावित खरीदारों से बोली आमंत्रित करने की एक पारदर्शी प्रक्रिया की व्यवस्था करना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) विज्ञापन/आरएफपी आदि तैयार करना और जारी करना तथा बोलीपूर्व बैठक और स्थलीय दौरे की व्यवस्था करना।

(ख) संभावित बोलीदाताओं के प्रश्नों का विश्लेषण करना और उनके उत्तर तैयार करना तथा बोली दस्तावेजों में, यदि अपेक्षित हो, आवश्यक संशोधन करना।

(ग) संभावित खरीदारों/निवेशकों से बोलियां आमंत्रित करना और उनका मूल्यांकन करना तथा अपेक्षित दस्तावेज तैयार करना जिसके परिणामस्वरूप बातचीत हेतु बोलीदाताओं को संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जा सके।

(ix) संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं के साथ बातचीत में सहायता करना।

(x) डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तुलनात्मक मूल्यांकन, परिसंपत्ति आधारित मूल्यांकन और तुलन-पत्र पद्धति जैसी पद्धतियों के आधार पर **एचएलएल लाइफकेयर लि.** के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए उचित आरक्षित मूल्य का दायरा निर्धारित करने में भारत सरकार की सहायता करना जिसमें विभिन्न पद्धतियों के गुण-दोषों को और साथ-साथ इस तथ्य को भी उजागर किया गया हो कि इन तीनों मूल्यांकनों में अनेक भिन्न ताएं मौजूद हैं। आरक्षित मूल्य निर्धारित करने में सहायता करते समय परिसंपत्ति मूल्य निर्धारक की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखना होगा। भारत सरकार के पास किसी अन्य एजेंसी से मूल्यांकन कराए जाने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(xi) सफल बोलीदाता के साथ परस्पर स्वीकार्य निबंधनों पर भारत सरकार की ओर से सौदे के निष्पादन के लिए अपेक्षित करार (शेयर खरीद करार, शेयरधारक करार आदि) तथा अन्य विधिक दस्तावेज तैयार करना और निष्पादित करना।

(xii) विधिक अनुमोदन तथा जहां कहीं अपेक्षित हो, अनापत्तियां प्राप्त करने सहित लागू विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन और सौदे की समाप्ति तक प्रक्रिया में समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करना।

(xiii) सौदे के समापन में सहायता करना।

(xiv) बिक्री पश्चात मामलों, यदि कोई हो, में सलाह देना।

(xv) सौदे की सफल संपन्नता के लिए भारत सरकार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विश्लेषणीय और सौदा संबंधी सहायता प्रदान करना।

(xvi) संरचनात्मक, विधिक, वित्तीय तथा प्रक्रियात्मक गतिविधियों, उचित उद्यमिता, दस्तावेज प्रारूपण, एजेंसियों/विनियामक प्राधिकरणों के पास दायर किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज तैयार करने और दायर करने , लागू नियमों और विनियमों के अनुसार औपचारिकताएं पूरी करने सहित सभी सहबद्ध गतिविधियों में सरकार की सहायता करना।

उपरोक्त विचारार्थ विषय संकेतात्मक हैं और प्रकृति में गैर-सीमित हैं। ऐसी कुछ प्रासंगिक सेवाएं हो सकती हैं, जिन्हें पूर्वोक्त कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है , लेकिन यदि वे भारत सरकार द्वारा सलाहकार के संज्ञान में लाई जाएं तो वे विचारार्थ विषय का एक अभिन्न और अनिवार्य भाग होंगी।

4. <u>पात्रता</u>

4.1 बोलीदाता को एक सुविख्यात पेशेवर परामर्शदायी फर्म/निवेश बैंकर/मर्चेंट बैंकर/वित्तीय संस्थान/बैंक होना चाहिए, जिसके पास सामरिक विनिवेश, सामरिक बिक्री, एम एंड ए गतिविधियों/वैयक्तिक इक्विटी निवेश सौदे के लिए इसी प्रकार की परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

4.2 बोलीदाताओं द्वारा **01 अप्रैल, 2014 से 30 सितंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान 300 करोड़ रुपये** या उससे बड़े आकार के कम से कम एक सामरिक विनिवेश, सामरिक बिक्री, एम एंड ए गतिविधियों/वैयक्तिक इक्विटी निवेश सौदे में सलाह दी गई हो, काम किया गया हो और उसे सफलतापूर्वक संपन्न किया गया हो।

4.3 इच्छुक पार्टियों को `दोषसिद्धि हीनता` और `टकराव हीनता` के संबंध में **अनुबंध -1** में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक शपथ-पत्र-सह-वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

5. <u>बोली-पूर्व बैठक</u>

एक बोली-पूर्व बैठक प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तारीख से पहले आयोजित की जाएगी। तारीख , समय और स्थान की जानकारी उचित समय पर दीपम की वेबसाइट (http://dipam.gov.in) पर डाल दी जाएगी। इच्छुक पार्टियां अपने प्रश्न **नीचे पैराग्राफ 6** में दिए गए अनुसार बोली प्राप्त करने के लिए अधिकृत अधिकारी को ई-मेल से भेज सकती हैं।

6. <u>प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण</u>

6.1 प्रस्ताव को उसके प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ सं . का उल्लेख करते हुए और उन्हें क्रमबद्ध करते हुए निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए :

(i) **लिफाफा 1 :**

(क) बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण के लिए कंपनी /फर्म के पत्र शीर्ष पर व्याख्या पत्र जिसमें संलग्न दस्तावेजों की सूची हो और पृष्ठ सं. अंकित हो; संगठन की रूपरेखा जिसमें संविधान, स्वामित्व और व्यवसायिक गतिविधियों का पूरा ब्यौरा शामिल हो ; इसके साथ-साथ पिछले **तीन वर्षों** की विस्तृत वार्षिक रिपोर्टें या लेखापरीक्षित वित्तीय लेखे प्रस्तुत किए जाएं।

(ख) प्रस्ताव तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बोलीदाता के प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने वाला प्राधिकार पत्र।

(ग) **पैराग्राफ 4.3** के अनुसार बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र।

(घ) बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र कि नियुक्ति की दशा में इस आरएफपी के **अनुबंध-2** के रूप में संलग्न मॉडल के अनुसार करार बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(ङ) इस आशय का प्रमाण -पत्र कि यदि रूचि की अभिव्यक्ति में प्रदर्शित कार्यदल का कोई सदस्य, त्याग पत्र देने आदि के कारण उपलब्ध नहीं रहता है, तो दीपम की सहमति से समान योग्यता और अनुभव वाला दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराया जाएगा।

(च) इस आशय का प्रमाण -पत्र कि सौदे हेतु नियुक्त दल में से सामरिक विनिवेश में एक विशेषज्ञ शामिल होगा; मूल्यांकन में एक विशेषज्ञ और सौदा दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने में एक विशेषज्ञ शामिल होगा। प्रमाण-पत्र का प्रारूप **अनुबंध-3** में दिया गया है।

(छ) **अप्रतिदाय शुल्क** के रूप में वेतन एवं लेखा अधिकारी दीपम के पक्ष में आहरित नई दिल्ली में देय **एक लाख रुपये** बैंक पे आर्डर/डिजिटल भुगतान (इंटर-बैंक आरटीजीएस कोड आर-42 का उपयोग करते हुए सरकारी खाता सं. 34663044146 , आईएफएससी: एसबीआईएन0000625, एसबीआई, केन्द्रीय सचिवालय शाखा , नई दिल्ली में सीधे जमा किया जाए)। डिजीटल भुगतान के मामले में उसका प्रमाण संलग्न किया जाए।

(ज) इस आशय का प्रमाण-पत्र कि **5,00,000 रुपये (मात्र पांच लाख रुपये) की कार्यनिष्पादन गारंटी** प्रस्तुत की जाएगी जो नियुक्ति पत्र की तारीख से **2 वर्ष** की अवधि के लिए वैध होगी।

(झ) इस आशय का प्रमाण-पत्र कि कार्यनिष्पादन गारंटी को उस दशा में एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, यदि सौदा 2 वर्ष की अवधि के अंदर संपन्न न किया जा सके।

(ii) लिफाफा 2 (सीलबंद):

(i) सभी अनुसूचियों, प्रमाण-पत्रों और अनुबंधों सहित तकनीकी बोली, जिन्हें विधिवत रूप से भरा गया हो , पृष्ठ सं. अंकित की गई हो और बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो।

(ii) **अनुबंध-4** में दिए गए प्रारूप में शर्तरहित बोली से संबंधित प्रमाण-पत्र।

(iii) लिफाफा 3 (सीलबंद): अनुबंध-5 में दिए गए प्रारूप में वित्तीय बोली ।

टिप्पणी :

1. सशर्त बोलियां सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएंगी।
2. केवल उन्हीं पार्टियों की वित्तीय बोली खोली जाएंगी जिन्होंने तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त कर ली हो।

6.2 रूचि की अभिव्यक्ति **श्री प्रिय रंजन , अवर सचिव, दीपम, वित्त मंत्रालय, कक्ष सं. 203 , दूसरा तल, ब्लॉक नं. 11 , सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 के पास दिनांक 29.01.2018 को 1500 बजे** तक भेज दी जानी चाहिएं । रूचि की अभिव्यक्ति केवल पठनीय प्रतियों में भेजनी अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी। किसी स्पष्टीकरण या ब्यौरे हेतु पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त अधिकारी को टेलीफोन नं. 011-24368736, फैक्स सं. 24368502, ई-मेल priya.ranjan@nic.in पर संपर्क करें।

6.3 रूचि की अभिव्यक्तियों को **29.01.2018 को 1530** बजे निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के कमेटी कक्ष (कमरा सं. 515 , पांचवा तल, ब्लॉक सं. 14 , सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003) में निविदा खोलने वाली समिति के द्वारा बोलीदाताओं की मौजूदगी में खोला जाएगा।

6.4 सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इस प्रकार प्राप्त किसी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

6.5 केवल उन पार्टियों की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त कर लें।

7. <u>तकनीकी बोली का प्रारूप</u>

खंड (क) <u>विलय/अधिग्रहण सहित भारत में सामरिक बिक्री का अनुभव</u> (महत्व 15/100)

- संचालित सौदे की प्रकृति और किस पक्ष का प्रतिनिधित्व किया गया - क्रेता का या विक्रेता का
- सौदा सरकारी था या अर्ध-सरकारी था या निजी क्षेत्र का था
- सौदे में निभाई गई भूमिका
- सौदे में अनुभव की गई जटिलताएं
- सौदे में किया गया नवोन्वेषी कार्य

खंड (ख) <u>विलय/अधिग्रहण सहित भारत के बाहर सामरिक बिक्री का अनुभव</u> (महत्व 5/100)

- संचालित किए गए समग्र सौदे
- इसी प्रकार के क्षेत्र में सौदा

खंड (ग) <u>क्षेत्र विशेषज्ञता और कंपनी की समझ</u> (महत्व 15/100)

- प्रासंगिक क्षेत्र में किए गए कार्य दर्शाएं - जैसेकि किया गया अध्ययन या अनुसंधान।
- क्षेत्र में अपनी सुदृढ़ता/विशेषज्ञता, यदि कोई हो, दर्शाए, ।
- कंपनी की समझ।

खंड (घ) <u>पूंजी बाजार का अनुभव</u> (महत्व 5/100)

- भारतीय पूंजी बाजार की समग्र समझ।
- पूंजी बाजार के संबंध में किया गया कार्य।
- क्या पूंजी बाजार का अनुभव मौजूदा मामले में प्रासंगिक है। यदि हां , तो बताएं कैसे और यह भी दर्शाएं कि पूंजी बाजार से संबंधित मामलों को कैसे हल किया जाएगा।

खंड (ड.) <u>स्थानीय उपस्थिति</u> (महत्व 5/100)

- भारत के प्रति प्रतिबद्धता; लगाई गई निधियां; संचालन की अवधि
- मानव शक्ति
- कार्यालय तथा अन्य मूलभूत सुविधा
- कार्यदल
- कार्यदल में से किसने उपर्युक्त 7.1 (क) में उल्लिखित सौदे निष्पादित किए हैं।

खंड (च) <u>मूल्यांकन पद्धति</u> (महत्व 15/100)

- मूल्यांकन पद्धतियों की समझ
- मौजूदा सौदे में सबसे अधिक उपयुक्त पद्धति का कारण सहित सुझाव।

खंड (छ) <u>विपणन सुदृढ़ता</u> (महत्व 10/100)

- विपणन सुदृढ़ता दर्शाएं
- इस सुदृढ़ता से मौजूदा मामले में कैसे सहायता मिलेगी
- मौजूदा मामले के लिए प्रस्तावित रणनीति

खंड (ज) <u>सौदा संरचना</u> (महत्व 15/100)

- प्रस्तावित संरचना
- प्रस्तावित संरचना के लाभ
- प्रदायगी
- प्रस्तावित संरचना में सुदृढ़ता

खंड (झ) <u>डील टीम मानव शक्ति की प्रतिबद्धता</u> (महत्व 15/100)

- मुख्य टीम जो प्रस्तावित सौदे को संचालित करेगी।
- अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले अन्य पेशेवरों का विवरण।

टिप्पणी : इस संबंध में एक वचनबद्धता भी दी जाए कि यदि प्रक्रिया के दौरान मुख्य टीम का कोई भी सदस्य, त्याग पत्र देने, अवकाश आदि के कारण उपलब्ध नहीं रहता है, तो सरकार की सहमति से समान योग्यता और अनुभव वाला दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराया जाएगा।

8. <u>बोली का मूल्यांकन</u>

8.1 संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं को अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से, अन्तर-मंत्रालय समूह के समक्ष करना होगा जिसमें ऊपर सूचीबद्ध क्षेत्र /मापदंड शामिल होंगे और उन्हें प्रस्तुतीकरण की 15 प्रतियां प्रस्तुतीकरण के समय लेकर आनी होंगी **। प्रस्तुतीकरण की तारीख, समय और स्थान की जानकारी उचित समय पर दे दी जाएगी।**

8.2 बोलीदाताओं का मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण तथा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर ऊपर पैरा 7 में दिए गए मानदंडों के आधार पर, अंतर-मंत्रालय समूह द्वारा किया जाएगा तथा उनकी वित्तीय बोली खोलने के लिए उन्हें संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा। केवल उन्हीं पार्टियों को तकनीकी रूप से संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्होंने 100 में से पूर्वनिर्धारित अंक, जिसकी घोषणा प्रस्तुतीकरण से पहले कर दी जाएगी, प्राप्त किए हों।

8.3 बोलीदाताओं को, उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर संक्षिप्त सूचीबद्ध करने के पश्चात, अंतर-मंत्रालय समूह द्वारा केवल संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी। संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाता, यदि वे इच्छुक हों तो, वित्तीय बोली खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। वित्तीय बोली खोलने से पूर्व, संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त अंकों की घोषणा की जाएगी।

8.4 तकनीकी मूल्यांकन में संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त अंकों को 70 अंक की महत्ता (weightage) दी जाएगी। इसी प्रकार, संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं की वित्तीय बोली को 30 अंक की महत्ता दी जाएगी। तकनीकी एवं वित्तीय बोली के संयुक्त अंक एच 1, एच 2 तथा एच 3 एवं अन्य का निर्धारण करेंगे।

8.5 उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर सर्वाधिक अंक/प्वाइंट प्राप्त करने वाली पार्टी (एच1) को सौदे हेतु नियुक्त किया जाएगा।

8.6 संघ बोली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.7 काम को शिकमी ठेके पर दिए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियुक्त सलाहकार अंतिम रूप से अपेक्षित सभी प्रदायगियों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

9. <u>वित्तीय बोली हेतु अपेक्षाएं</u>

9.1 बोलीदाता को सौदे हेतु अपना शुल्क विनिवेश से प्राप्त धनराशि अर्थात सरकार के बैंक खाते में प्राप्त धनराशि के प्रतिशत के रूप में उद्धृत करना होगा। उद्धृत शुल्क दशमलव के बाद चार अंकों तक सीमित रहना चाहिए। बोलीदाता द्वारा उद्धृत फीस में, सभी लागू कर, उपकर, शुल्क

आदि सम्मिलित होने चाहिए। शुल्क का भुगतान सौदे की सफल समाप्ति के बाद पर भारतीय रुपये में किया जाएगा।

9.2 बोलीदाता द्वारा उद्धृत शुल्क सौदे की सफल समाप्ति तक नियत रहेगा।

9.3 उद्धृत फीस बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। यात्रा संबंधी व्यय और उचित उद्यमिता से संबंधित व्यय सहित सभी व्यय का वहन सलाहकार द्वारा किया जाएगा।

9.4 भारत सरकार द्वारा नियुक्त किसी विधिक /लेखांकन या किसी अन्य परामर्शदाता को दिए जाने वाला शुल्क वित्तीय बोली में शामिल नहीं होगा। सरकार तथा **एचएलएल लाइफकेयर लि.** के कर्मचारियों की यात्रा से संबंधित व्यय का वहन भारत सरकार /**एचएलएल लाइफकेयर लि.** द्वारा किया जाएगा।

9.5 सौदे को स्थगित किए जाने की दशा में नियुक्त सलाहकार को ड्राप डेड शुल्क के तौर पर **5,00,000 रुपये (मात्र पांच लाख रुपये)** का भुगतान किया जाएगा। ड्राप डेड शुल्क का भुगतान निम्न प्रकार किया जाएगा :

(क) 10% का भुगतान उस दशा में किया जाएगा जब सौदे को संभावित क्रेताओं से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए आरएफपी जारी करने से पहले स्थगित कर दिया जाए।

(ख) 50% का भुगतान उस दशा में किया जाएगा जब डाटा कक्ष स्थापित करने और संभावित खरीदारों द्वारा उचित उद्यमिता संपन्न कर लेने के बाद सौदे को स्थगित कर दिया जाए।

(ग) 100% का भुगतान उस दशा में किया जाएगा जब उन दस्तावेजों, जिनके आधार पर वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जानी हों, पर सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सौदे को स्थगित कर दिया जाए।

9.6 सभी बोलीदाता, प्रचलित विधि के अनुसार करों/शुल्कों/उपकरों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

9.7 बोलीदाता को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त समय पर **पैरा 9.1 या 9.5** के अनुसार बिल दीपम को प्रस्तुत करना होगा।

10. <u>अनुबंध संबंधी करार</u>

बोलीदाता को दीपम के साथ **अनुबंध -2** पर संलग्न करार के मॉडल प्रपत्र के मापदंडों के अनुसार गैर-न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर दीपम के साथ अनुबंध संबंधी करार संपन्न करना होगा।

11. प्राख्यापन

(क) भारत सरकार के पास इस प्रकार प्राप्त किसी या सभी आवेदनों को स्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अनन्य अधिकार सुरक्षित है।

(ख) विभाग आवेदन के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के कारण प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण में किसी विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विलम्ब से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. <u>विवाद</u>

विवाद के मामले में सचिव, दीपम का निर्णय अंतिम होगा।

13. <u>न्यायिक क्षेत्राधिकार</u>

न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल नई दिल्ली होगा।

******

अनुबंध I और II हेतु कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

<u>अनुबंध - 3</u>

डील टीम हेतु प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि डील टीम में निम्नलिखित शामिल होंगे :

क्र.सं.	नाम	किस क्षेत्र में विशेषज्ञता	योग्यता	अनुभव	अभ्युक्ति
1.	श्री/सुश्री	सामरिक विनिवेश			
2.	श्री/सुश्री	मूल्यांकन			
3.	श्री/सुश्री	सामरिक विनिवेश के दस्तावेजों की तैयारी			
4.	श्री/सुश्री				

मोहर सहित बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध - 4

<u>बोलीदाता के लैटरहैड पर शर्त रहित बोली का प्रारूप</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि एचएलएल लाइफकेयर लि. के सामरिक विनिवेश के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए हमारे द्वारा उद्धृत शुल्क, दीपम की वेब साइट पर दर्शाए गए, प्रस्तावों हेतु अनुरोध, में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार है और शर्तरहित है।

मोहर सहित मर्चेंट बैंकर के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध-5

बोलीदाता के लैटरहेड पर वित्तीय बोली का प्रारूप

क्र. सं.	**कार्य का वर्णन**	**प्रतिशत में शुल्क**
1.	विनिवेश अर्थागम, जो भारत सरकार के बैंक खाते में अंतरित हुआ हो, के प्रतिशत के रूप में शुल्क	(अंकों और शब्दों में)

टिप्पणी :

1) उद्धृत शुल्क में अंकों और शब्दों में किसी भिन्नता के मामले में शब्दों में दी गई संख्या को सभी प्रयोजनों हेतु सही माना जाएगा।

2) चूंकि, बोली में सभी कर शामिल हैं इसलिए कर की कोई अतिरिक्त देयता , जो केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा कर दर में किसी परिवर्तन या अतिरिक्त करों के आधार पर उत्पन्न हो सकती है, का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

मोहर सहित बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर